<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-253/2020/4128/41-2020-35(बजट)/2018</u>

लखनऊ दिनांक 05 नवम्बर, 2020

<u>संख्या-248/2020/2745/41-2020-35(बजट)/2018 दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 का शुद्धि पत्र</u>

जनपद फैजाबाद के अयोध्या के पर्यटन विकास कार्यों के अंतर्गत जनपद अयोध्या में स्थित गुप्तारघाट अयोध्या के मंदिर हेतु फसाड लाइट के कार्य हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत किये गये शासनादेश संख्या- संख्या-248/2020/2745/41-2020-35(बजट)/2018 दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक- 3617/6-1-1(930)/2018 दिनांक 02 नवम्बर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 का उपप्रस्तर-02 अपूर्ण है और प्रस्तर-04 **में त्रुटिवश** वित्तीय वर्ष 2020-21 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-20 अंकित हो गया है, जिसे संशोधित किया जाना अपेक्षित है।

2. अत: उक्त शासनादेश संख्या- संख्या-248/2020/2745/41-2020-35(बजट)/2018 दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 के प्रस्तर-04 में त्रुटिवश अंकित **वित्तीय वर्ष 2019-20 को विलोपित करते हुए उक्त के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2020-21 अंकित किया जाता** है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या- संख्या-248/2020/2745/41-2020-35(बजट)/2018 दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 के प्रस्तर-3 के अपूर्ण उपप्रस्तर-02 को निम्नवत् पढ़ा जायेगा:-

<u>प्रस्तर-3 (2)</u>

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र सं0-2874/6-1-1(930)/2018, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये जी0एस0टी0 के प्रपत्र एवं कार्यपूर्ति का प्रमाण-पत्र क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है, गुणवत्ता प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध कराया गया है और न ही थर्ड पार्टी से गुणवत्ता की जांच करायी गयी है। अनुरक्षण की व्यवस्था भी स्पष्ट नहीं है और न ही उपलब्ध कराये गये फोटोग्राफ्स में स्थलों/कार्यों का नाम अंकित है। अत: उक्त समस्त कमियों का निराकरण कराते हुए एक सप्ताह के अंदर अपेक्षित अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेगे।

3. तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 29 अक्टूबर 2020 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-253/2020/4128/41-2020-35(बजट)/2018 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0), यूनिट-11, फैजाबाद।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
9- क्षेत्रीय प्रर्यटक अधिकारी, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग /गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in